

न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना – नागौर (राज0)  
बईजलास – श्री दयानन्द रूयल आर.टी.एस.

मु0 सं0 06 / 2017

दायर दिनांक 18.04.2017

प्रार्थी  
पटवारी हल्का  
बालिया

V /  
S

अप्रार्थी  
श्री जमील पुत्र श्री नबाब अली  
जाति देशवाली निवासी रामसाबास

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 6.11.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालिया ने दिनांक 18.04.2017 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी श्री जमील पुत्र श्री नबाब अली जाति देशवाली निवासी बालिया तह. डीडवाना ने ग्राम रामसाबास के खसरा नम्बर 232 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 6.04 बीघा में से 0.10 बिघा भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का ~~बालिया~~ <sup>बालिया</sup> की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी उपरिष्ठ रहा एवं अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम रामसाबास के खसरा नम्बर 232 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 6.04 बीघा में से 0.10 बिघा भूमि पर अप्रार्थी श्री जमील पुत्र श्री नबाब अली जाति देशवाली निवासी बालिया तह. डीडवाना ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी को ख0न0 232 किस्म किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 6.04 बीघा में से 0.10 बिघा भूमि पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते हैं। तथा भूमि के वार्षिक लगान दर 0.10 रू0 के 50 गुणा से रूपये 5/- अक्षरे पांच रूपये मात्र की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू0अ0निरीक्षक निम्बी कलां व पटवारी हल्का बालिया को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं त0रा0ले0 कार्यालय हाजा को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संक्षिप्त पृविष्टियां रजिस्टर रा.लेखा  
सं. 514 के पृष्ठ 12 पर  
दिनांक 14/11/17 को अंकित की गई।  
त.रा.ले. डीडवाना

5/- पांच रूपये (दयानन्द रूयल)  
तहसीलदार, डीडवाना